न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2011

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
बाबुलाल पुत्र प्रतापजी जाति सुथार निवासी बावरला तहसील सांचोर जिला जालोर		1 दला पुत्र धनराज 2 चेला पुत्र धनराज 3 हरचन्द पुत्र खंगारा 4 रतना पुत्र रूगा जातिगण कलबी निवासीगण हाडेचा तहसील सांचोर जिला जालोर 5 राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री शम्भूदान आशिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री भीमाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14/2/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2003 बअनवान बाबुलाल बनाम दला व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हाडेचा के खसरा नम्बर 432 रकबा 6.35 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि है, जो अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से क्रय की है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि के खसरा नम्बर 432/990 कायम करते हुए अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, किन्तु उक्त भूमि बतौर सह खातेदारी ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। इस करण अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभाजन करते हुए राजस्व रेकर्ड में पृथक से इन्द्राज कराने का निवेदन किया। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 ने वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से उपस्थित दर्ज नहीं करवाई, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 थे, जो विभाजन हेतु सहमत थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात् का परीक्षण किए बिना ही जैर अपील निर्णय के जरिये वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2003 को अपीलाण्ट की शहादत हेतु प्रथम बार पत्रावली नियत की गई एवं इसी दिनांक को वादी की बयान कलमबद्ध कर शहादत बन्द कर दी गई एवं उसके पश्चात प्रतिवादी हरचन्द की शहादत लेकर प्रतिवादी की शहादत भी बन्द कर जल्दबाज़ी में दिनांक 30.10.2003 को वादी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बहस सुन कर जैर अपील निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें पक्षकार को हिस्से अनुसार पृथक पृथक काबिज काश्त बताया गया है। इन समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त था, जिसे किसी ने न तो कभी हटाया एवं न ही किसी ने दखल अन्दाजी की, इस कारण जैर अपील निर्णय का कभी अपीलाण्ट को जानकारी ही नहीं हुई। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने की जानकारी देने पर जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई, तब अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए वादी का वाद स्वीकार कर 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी विभाजन अनुसार पृथक से घोषित करावें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में देरी को कण्डोन करने बाबत कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया है। अतः अपील मयाद बाहर होन से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन यिका। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपनी खरीदसुदा भूमि का विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 असालतन एवं वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन कराने का अनुतोष चाहा एवं प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वाद पत्र की ताईद की गई। दोनो पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई, जिसमें से तनकी संख्या 1 व 2 वादी को साबित की जानी थी तथा तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 3 को साबित की जानी थी। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षकार विभाजन हेतु सहमत थे, तो वाद को खारिज किये जाने का कोई यथोचित कारण पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं था। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से जो मौका रिपोर्ट तलब की गई, उसमें पटवारी हल्का ने भूमि के भौतिक स्थिति को न्यायालय के पटल पर लाने का प्रयास किया तथा नक्शा ट्रेस में भौतिक रूप से काबिज अनुसार पक्षकारान को अलग अलग रंगो से दर्शित किया तथा उसके साथजो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस पर समस्त खातेदारान् के हस्ताक्षर थे, जिससे यह साबित होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट समस्त खातेदारान् की उपस्थिति में तैयार की गई थी। इस कारण प्रकरण में वांछित अनुतोष प्रदान करने में कोई कानूनी बाधा रेकर्ड पर नहीं थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का वाद खारिज किया, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2003 बअनवान बाबूलाल बनाम दला व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर